सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 13- जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहरों का रखरखाव कार्य

विषय 13.1 नहर का वाक-थ्रू तथा कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण

विषय -13.1

नहर का वाक थ्रू तथा कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण

मॉड्यूल 13 के विषय :

13.1 नहर का वाक थ्रू तथा कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण

13.2 कार्यों का प्राक्कलन बनाना

13.3 कार्यों की तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यों को कराए जाने हेतु एजेंसी का चयन

13.4 कार्यों की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा भुगतान

1. <u>नहर का वाकथ्रू: परिचय</u>

जल उपभोक्ता समिति को नहर का रखरखाव स्वयं करना है। इसके लिए हर फसल की बुआई से पहले जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पूरी नहर पर पैदल चलकर यह जानकारी लेनी चाहिए कि नहर को

सुचारु ढंग से चलाने के लिए क्या कार्य कराए जाने आवश्यक होंगे। इस प्रक्रिया को 'नहर का वाक थ्रू' कहते हैं।

इस प्रकार के वॉक थ्रू का एक चित्र नीचे दर्शाया गया है :

2. वाकथ्रू का उद्देश्य

- नहर के रखरखाव में उपयोगकर्ता की सहभागिता
- स्थानीय मेधा का उपयोग
- सभी को कार्यक्रम की जानकारी का प्रसार
- वंचित सदस्यों के सुझाव सम्मिलित करने का अवसर
- समुदाय में स्वामित्व की भावना का विकास

वाक थ्रू में यह देखना होगा कि नहर में कहां टूटफूट हो गई है, कहां पर जंगली घास उग आई है, कहां पर नहर में बंधा आदि लगा दिये गये हैं तथा कहाँ पक्के कार्य जैसे पुल-पुलिया,गेट आदि पर मरम्मत कार्य किये जाने आवश्यक लग रहे हैं। नहर रखरखाव के संभावित कार्यों की सूची नीचे प्रपत्र-1 पर दी गई है।

समिति द्वारा वाक थ्रू का समय पहले से तय करके सभी ग्रामवासियों तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इसमें बुलाना चाहिए। वाक थ्रू के समय सभी कराए जाने योग्य कार्यों का चेनेज-वार विवरण एक डायरी में लिख लेना चाहिए। वाक थ्रू में उपस्थित लोगों की सूची नीचे दिए प्रपत्र-2 पर बना लेनी चाहिए।

प्रपत्र-1: नहर रखरखाव में सम्भावित कार्यों की सूची

(1) वार्षिक परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य (प्रत्येक फसल से पूर्व)

(क) सिल्ट सफाई

(ख) जंगली घास हटाना

(ग) बैंक, डौलों, सर्विस रोड की मरम्मत

(ग) गेट व गेज की मरम्मत

(घ) कुलाबों की मरम्मत

(च) अवरोधों को हटाना

(छ) नहर के टूट-फूट को ठीक कराना

(ज) अनाधिकृत कुलाबों को हटाना

(झ) पक्के कार्यों की मरम्मत आदि।

(ट) कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य कार्य

(2) विशेष मरम्मत के कार्यः-

(कं) पुनर्स्थापना कार्य

(ख) मापक यंत्रों का पुर्ननिर्माण

(ग) शीर्ष एवं क्रास रेगुलेटर एवं पक्के/चिनाई कार्यों का पुर्ननिर्माण

(घ) नहरों के तटबन्धों (डौला/सर्विस रोड आदि) का सुदृढ़ीकरण

(च) कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य कार्य

(3) आकस्मिक कार्यः-

(क) नहर चलने के दौरान नहर कटान (खांदी) की मरम्मत एवं अनाधिकृत बंधों/अवरोधों को हटाना।

(ख) नहर चालू रहने के दौरान अनाधिकृत कुलाबों को हटाना तथा तत्सम्बन्धी मरम्मत।

(ग) गेट तथा इससे सम्बन्धित आकस्मिक मरम्मत।

<u>प्रपत्र -2 : वाक-थ्रू में उपस्थित सदस्य</u>

क्र0सं0	नाम	पदनाम/ पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर

3. कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण

वाक-थ्रू करने के बाद जल उपभोक्ता समिति तथा किसानों एवं नहर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके यह तय करना चाहिए कि उस नहर पर जितने कार्य किये जाने हैं उनमें से कौन से कार्य सबसे जरूरी हैं। इन आवश्यक कार्यों जिन को कराया जाना अति आवश्यक है की सूची बना लेनी चाहिए। कार्यों की प्राथमिकता तय करते समय धन की उपलब्धता और समय की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। सामान्यता: धन की उपलब्धता सीमित होती है इसलिए जो काम जरूरी हो उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। रखरखाव कार्य नहरबंदी की अवधि में किए जाते हैं जो अत्यंत सीमित होती है। इस लिए भी अत्यंत आवश्यक कार्य की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।

उदाहरण के लिए कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण सूची इस प्रकार हो सकती है :

1- खॉदी की मरम्मत

2- नहर की सिल्ट सफाई का काम

3- नहर में उगे खरपतवार की सफाई
4- नहर की पटरियों की मरम्मत
5- गेट की मरम्मत